

13

चिकित्सा प्रतिपूर्ति

विषय सूची

क्र० सं०	विषय	शासनादेश सं० तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	चिकित्सा प्रतिपूर्ति अग्रिम आहरण की सीमा बढ़ाया जाना	सं०-1026/वि०अनु०-3/2003, देहरादून, दिनांक-31 दिसम्बर, 2003	185-186
2	दिनांक 09-11-2000 के पूर्व सेवानिवृत्त अथवा सेवा पर सेवानैवृत्तिक लाभ, पेंशन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में	सं०-362/XXVII(4)/2005, देहरादून, दिनांक-19 सितम्बर, 2005	187-188
3	दिनांक 09 नवम्बर, 2000 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर्स की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण	सं०-58/XXVII(7)पे०/2006, देहरादून, दिनांक-18 मई, 2006	189-192
4	उत्तरांचल के सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश	सं० 679/वि०-3-2006-437/2002, देहरादून, दिनांक-04 सितम्बर, 2006	193-200
5	अति गंभीर एवं असाध्य रोगों के उपचार तथा अंग प्रत्यारोपण की प्रतिपूर्ति	सं०-960/XXVIII-3-2010-437/2002, देहरादून, दिनांक-08 जनवरी, 2010	201-202

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-3
संख्या/०26/वित्त अनुभाग-3/2003
देहरादून : दिनांक : दिसम्बर 31, 2003

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-249 में निहित प्राविधानों के अधीन सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय इस आशय की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अग्रिम के प्रकरणों में वर्तमान में निर्धारित अग्रिम की धनराशि रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) की सीमा, जो प्रशासनिक विभाग हेतु रू० 25,000/- निर्धारित है, को शिथिल करते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण में चिकित्सा प्रतिपूर्ति, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की संस्तुति पर अग्रिम आहरण की धनराशि की सीमा रूपये 50,000/- (पचास हजार रूपये) पुनरीक्षित की जाती है।

इस सम्बन्ध में वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 में संशोधन यथासमय अलग से जारी किया जायेगा।


इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव

संख्या-1026 /वि०अ०-3/2003, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव एवं सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल शासन।
- 3- महालेखाकार उत्तरांचल, ओबराय मोटर बिल्डिंग, माजरा, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
- 4- रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तरांचल, नैनीताल।
- 5- रेजिडेंट कमिश्नर उत्तरांचल, नई दिल्ली।
- 6- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,



(टी० एन० सिंह)
अपर सचिव

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन,
देहरादून।

सेवा में,

प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ।

वित्त अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 19 सितम्बर, 2005

विषय:-दिनांक 09.11.2000 के पूर्व सेवा निवृत्त अथवा सेवा पर सेवा नैवृत्तिक लाभ,
पेंशन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उपरोक्त विषय हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-54 के साथ पठित शैड्यूल-8 में पेंशन सम्बन्धी प्रभाजन तथा प्रक्रिया स्पष्ट है कि जो जिस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, पूर्ववत् प्राप्त करेंगे। पेंशनभोगियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति भी पेंशन सम्बन्धी लेखा शीर्षक से किये जाने की प्रक्रिया है। कतिपय पेंशनर्स द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कुछ पेंशनर जो उत्तर प्रदेश से पेंशन पा रहे हैं उनके सेवाकाल के कार्यालय अब उत्तरांचल क्षेत्र में हैं तथा कुछ पेंशनर जो उत्तरांचल से पेंशन पा रहे हैं उनके सेवाकाल के कार्यालय उत्तर प्रदेश में हैं, जिसके कारण उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं भुगतान प्राप्त करने में असुविधा हो रही है।

उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या-सा-3-1071/दस-2002-308(9)/2002, दिनांक 15 जून, 2002 (प्रति संलग्न) में स्पष्ट किया गया है कि पेंशन सम्बन्धी प्रकरणों (चिकित्सा प्रतिपूर्ति का उल्लेख नहीं) में निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश के माध्यम से निदेशक, लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल, 23 लक्ष्मी रोड़ (डालनवाला) देहरादून को प्राधिकार पत्र भेजा जायेगा तथा उनके द्वारा उत्तरांचल के सम्बन्धित कोषागार को भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र अग्रसारित किया जायेगा। जो प्रकरण उत्तरांचल में स्वीकृत किया जायेगा उसे निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल के माध्यम से निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्द्रा भवन, लखनऊ को भेजा जायेगा, जिसे वह उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित कोषागार को भुगतान हेतु अग्रसारित करेंगे। उक्त आदेश के क्रम में उत्तरांचल द्वारा भी शासनादेश संख्या-1005/वि0अनु0-4/2003, दिनांक 12 सितम्बर, 2003 (प्रति संलग्न) द्वारा पुष्टि की गयी है।

कृपया उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल शासन द्वारा निर्गत उपरोक्त आदेशों के क्रम में पुनः स्पष्टीकरण जारी किया जाना उचित होगा कि सेवा नैवृत्तिक लाभों में चिकित्सा

प्रतिपूर्ति को भी सम्मिलित समझा जाये, क्योंकि पेंशनभोगियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान पेंशन मद से ही किये जाने की प्रक्रिया है तथा जिन पेंशनभोगियों के सेवाकाल के विभागीय कार्यालय जिस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है वहीं के सक्षम प्राधिकारों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकार कर निदेशक (पेंशन सम्बन्धी कार्य) के माध्यम से भुगतान हेतु भेजा जाय तथा ऐसे भुगतान का लेखांकन दिनांक 09.11.2000 के पूर्व में देय पेंशन के मद से किया जायेगा।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

राधा रतूड़ी
सचिव, वित्त।

संख्या 362(1)/xxvii(4)/2005, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्द्रा भवन, लखनऊ।
2. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, 23 लक्ष्मी रोड (डालनवाला), देहरादून।
3. उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स संगठन, देहरादून/हरिद्वार।
4. श्री चन्द्रशेखर, मुख्य अभियन्ता (से0नि0), 49/II वसन्त विहार, देहरादून।

आज्ञा से

टी0एन0 सिंह
अपर सचिव,।

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल शासन।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनु0-7

देहरादून, दिनांक : 18 मई, 2006

विषय:-दिनांक 09 नवम्बर, 2000 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर्स की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तरांचल शासन के सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के सम्बन्ध में चिकित्सा अनु0- 2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या - 1180/चि0-2-2003-437/2002, दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 के प्रस्तर - 8 में व्यवस्था की गई है कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य तथा मृत सरकारी सेवकों के परिवार की पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष अथवा उस कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे, जहाँ से वे सेवानिवृत्त हुए हैं। दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को अविभाजित उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल में विभाजन हो जाने के बाद ऐसे प्रकरण शासन के संज्ञान में लाये गये हैं, जिनमें उक्त तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उसके आश्रित पुर्नगठित उत्तरांचल के कोषागार में पेंशन/ पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे सरकारी सेवकों/उनके आश्रितों द्वारा चिकित्सा/उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे कहाँ प्रस्तुत किये जाय, उनके भुगतान/निस्तारण की प्रक्रिया क्या होगी।

2. अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के मामलों के निस्तारण निम्नानुसार किया जायेगा -

- (1) जिन प्रकरणों में सेवानिवृत्त पेंशनर्स उनके आश्रित का पेंशन भुगतान उत्तरांचल राज्य की सीमा में स्थित कोषागार से किया जा रहा है, ऐसे प्रकरणों में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे चाहे वे किसी भी धनराशि के हों, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के कार्यालय में ही प्रस्तुत किये जायेंगे तथा साथ में यथास्थिति पेंशनर/आश्रित की शिनाख्त का प्रमाण पत्र भी पेंशनर्स के द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा (जैसे कोषाधिकारी का प्रमाणीकरण)। उदाहरण स्वरूप लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता अथवा उसके आश्रित की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा उत्तरांचल के मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल के

कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, भले ही 09.11.2000 के पूर्व सेवानिवृत्त मि.
उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र से हुआ हो।

- (2) जहाँ कोई विभागाध्यक्ष न हो, वहाँ चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे सीधे उत्तरांचल शासन के प्रशासकीय/नोडल विभाग को प्रस्तुत किये जायेंगे। उपरोक्त प्रकार के चिकित्सा दावों का परीक्षण उस मण्डल के अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के द्वारा किया जायेगा।
- (3) यदि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों में निहित धनराशि रू0 50,000 की लागत से अधिक है (यथा प्रशानिक विभाग में निहित सीमा) तो विभागाध्यक्ष के द्वारा प्रशासकीय विभाग को अपनी स्पष्ट आख्या/संस्तुति हेतु प्रेषित किया जायेगा।
- (4) उपरोक्त प्रकार के मामलों के निस्तारण में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/विभाग को यदि सेवानिवृत्ति के कार्यालय से किसी सूचना की आवश्यकता पड़ती है तो वे उत्तर प्रदेश सरकार के समकक्षीय विभागाध्यक्ष/विभाग अथवा सीधे सम्बन्धित कार्यालय से ऐसी सूचना लेंगे।

3. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

4. उपरोक्त प्रकार के मामलों में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के जो दावे लम्बित चले आ रहे हैं, उनका उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

5. विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृति के आदेश/प्रस्ताव में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय कि उक्त प्रतिपूर्ति का दावा पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त पेंशनर्स/उसके आश्रित सदस्य/पारिवारिक पेंशनर का है, ताकि उक्त दावों में भुगतानित धनराशि के दोनों राज्यों के बीच प्रभाजन में सुगमता हो।

6. चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान पेंशन संबंधी लेखा शीर्षक से किया जाता है अतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान का देयक पेंशन की भांति संबंधित कोषागार द्वारा तैयार कर संबंधित पेंशनर्स के बैंक खाते में जमा किया जायेगा।

7. राज्य गठन के पूर्व सेवानिवृत्त उक्त श्रेणी के पेंशनर्स के चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति का भुगतान सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की अनुदान संख्या - 7 के लेखाशीर्षक 2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हत लाभ (अन्य) 01 स्पिविल (कमरा)- आयोजनेत्तर 800- अन्य व्यय- 06- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तर प्रदेश) 42- अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

राधा रतूड़ी
सचिव, वित्त

संख्या : 58 (1)/XXVII(7)पे0/2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्य, उत्तरांचल, देहरादून।
8. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
9. क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमायू।
10. रीजनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तरांचल।
13. निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव, वित्त

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 04/दिसम्बर/2006

विषय :- उत्तरांचल के सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के संबंध में दिशा-निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1180/चि-2-2003-437/2002 दिनांक 20.12.2003 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल के सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मिकों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की प्रदेश के भीतर एवं प्रदेश के बाहर कराये गये चिकित्सा पर हुये व्यय की पूर्ति के संबंध में बड़ी संख्या में प्राप्त हो रहे दावों के त्वरित निस्तारण में अनुभव की जा रही व्यवहारिक कठिनाईयों तथा चिकित्सा उपचार, पैथालॉजिकल टेस्ट एवं दवाओं के मूल्य में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान प्रक्रिया को सरल बनाने तथा कार्यालयाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों एवं शासन के प्रशासनिक विभागों को किये गये प्रतिनिधायन की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

2- अतएव श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश के भीतर तथा प्रदेश के बाहर करायी गयी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षरण तथा स्वीकृति हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 20.12.2003 द्वारा की गयी व्यवस्था को संशोधित करते हुये निम्नांकित निर्धारित किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं:-

प्रतिपूर्ति दावे की अधिकतम धनराशि प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वीकर्ता अधिकारी

1) ₹ 40,000.00 तक

राजकीय चिकित्सालय के अधीक्षक/मुख्य अधीक्षक जहाँ उपचार अथवा जहाँ से सन्दर्भित किया गया हो। अशासकीय चिकित्सालयों के प्रकरण में राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी।

कार्यालयाध्यक्ष

- 2) रू 40,000.00 से अधिक किन्तु रू 1,00,000.00 तक उपचार प्रदान करने वाले अथवा सन्दर्भित करने वाले राजकीय चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक। विभागाध्यक्ष
- 3) रू 1,00,000.00 से अधिक किन्तु रू 2,00,000.00 तक कुमायूँ मण्डल हेतु अपर निदेशक, कुमायूँ मण्डल, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गढ़वाल मण्डल हेतु अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। शासन के प्रशासकीय विभाग
- 4) रू 2,00,000.00 से अधिक -----तदैव----- शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के परामर्श एवं वित्त विभाग की सहमति से।

3-चिकित्सा अग्रिम:-

सरकारी सेवक के उपचार हेतु उसके लिखित आवेदन पर देश के अन्दर चिकित्सा विभाग द्वारा विशिष्ट उपचार के लिये चिन्हित/सन्दर्भित चिकित्सालय/संस्थान के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी प्रशासक द्वारा दिये गये व्यय प्राककलन के आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा रू 2,00,000/-तक की सीमा तक के व्यय प्राककलन पर अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। रू 2,00,000/-से अधिक के मामले में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी होगी। चिकित्सा उपचार अग्रिम हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड पाँच भाग-एक के प्रस्तर-249 में निर्धारित सीमा रू 25,000/-को इस सीमा तक संशोधित माना जाय।

उपरोक्त अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न शर्तों का अनुपालन आवश्यक होगा:-

- (क) ऐसे अग्रिम की धनराशि अनुमानित व्यय आगणन के 75 प्रतिशत से अधिक न हो।
- (ख) अग्रिम स्वीकृत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर अथवा निरन्तर उपचार चलते रहने की दशा में उपचार समाप्ति के तीन माह के अन्दर, जो भी पहले हो उसके समायोजन हेतु प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- (ग) अग्रिम का समय से समायोजन सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष के कार्यालय हेतु अधिकृत आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ऐसे अग्रिमों का एक रजिस्टर सेवारत कर्मचारियों के लिये परिशिष्ट "क" में निर्धारित प्रपत्र पर रखा जायेगा जिसकी जांच प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में उनके द्वारा की जायेगी। निर्धारित समय के अन्दर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों के प्रस्तुत न किये जाने पर अग्रिम की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से एक मुश्त कर ली जायेगी और एक मुश्त वसूली सम्भव न होने के कारणों के विस्तृत परीक्षण के बाद औचित्यपूर्ण स्थिति में मासिक किरतों में न्यूनतम सम्भव वसूल किया जायेगा।
- (घ) जब तक एक अग्रिम का समायोजन नहीं हो जाता, तब तक दूसरा अग्रिम किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (ङ.) अग्रिम के बिल पर आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा यह प्रमाण-पत्र अंकित किया जाना आवश्यक होगा कि स्वीकृत अग्रिम की प्रविष्टि अग्रिम के निर्धारित रजिस्टर में कर ली गई है।
- (च) फालोअप ट्रीटमेन्ट के लिये अग्रिम नहीं दिया जायेगा।

4- चिकित्सा उपचार के व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्यता:-

(i) प्रदेश के भीतर चिकित्सा उपचार :-

- (क) प्रदेश के भीतर राजकीय चिकित्सालयों में उपचार कराये जाने पर अनुमन्य मदों पर व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। सामान्य बीमारी अथवा सामान्य दवा के केश मेमौ पर प्रतिपूर्ति अस्वीकार की जाय।
- (ख) प्रदेश स्थित चिकित्सालयों द्वारा उपचार के दौरान ऐसी उपचार प्रणालियों/परीक्षणों जिनकी सुविधा राजकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध न हो, प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा संदर्भित किये जाने पर गैर सरकारी चिकित्सालयों में किये गये उपचार के व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, पर की जायेगी।
- (ग) प्रदेश के भीतर गैर सरकारी चिकित्सालयों, निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम में कराई गयी चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति उन दरों पर की जायेगी जिन दरों पर इस प्रकार की चिकित्सा राजकीय चिकित्सालयों में कराने पर व्यय आता है। प्रतिपूर्ति की धनराशि वास्तविक दावे अथवा सरकारी चिकित्सालय में उक्त उपचार हेतु व्यय की धनराशि/दरों में से जो भी कम हो, देय होगी किन्तु ऐसी उपचार प्रणालियां/परीक्षण जिनकी सुविधा राजकीय चिकित्सालय में उपलब्ध न हो, पर व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, पर प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- (घ) रूटीन बीमारियों का सरकारी चिकित्सालयों से इतर उपचार कराने हेतु प्राधिकृत चिकित्सक का संदर्भण आवश्यक होगा।

(ii) प्रदेश के बाहर विशेषज्ञ चिकित्सा :-

असाध्य एवं गम्भीर रोगों के उपचारार्थ प्रदेश स्थित चिकित्सालयों अथवा राजकीय मेडिकल कालेजों में समुचित व्यवस्था उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रदेश स्थित

चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों अथवा राजकीय मेडिकल कालेज के सम्बन्धित रोग के विशेषज्ञ जो प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष से निम्न स्तर का न हो की संस्तुति पर प्रदेश के बाहर के राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा विशेषज्ञ उपचार हेतु अनुमोदित शासकीय/अशासकीय चिकित्सा संस्थानों में उपचार की अनुमति शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा दी जा सकेगी और चिकित्सा विभाग के प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी की संस्तुति पर व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने की दशा में अशासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा कराये जाने पर वास्तविक व्यय अथवा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की अद्यतन दरों पर, दोनों में से जो भी कम हो, की दर पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। आपातकालीन स्थिति में समयाभाव के कारण, यदि किसी रोगी को बिना पूर्वानुमति के उपचार हेतु ले जाना पड़े तो ऐसे मामलों में उपचार मुक्त होने के 30 दिन के अन्दर उपचार प्रदान करने वाली संस्था का आकस्मिकता सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने के उपरान्त ही सम्बन्धित विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अवधि के पश्चात् के आकस्मिकता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

5- उक्त उपबन्ध उन्ही कार्यरत, अवकाश पर अथवा निलम्बित सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों पर लागू होंगे जिन पर उत्तर प्रदेश कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1946 यथा संशोधित 1968 या तो मूलतः या बाद के शासनादेशों द्वारा लागू है किन्तु राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सेवायोजित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों पर यह नियमावली उसी सीमा तक लागू होगी, जहां तक आल इण्डिया सर्विसेज (मेडिकल अटेन्डेन्ट) रूल्स, 1954 में अन्यथा व्यवस्था न दी गई हो।

6- प्रदेश के भीतर तथा प्रदेश के बाहर करायी गयी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया भी निर्धारित किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं:-

(i) प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने हेतु चिकित्सक/संस्था जिसके द्वारा उपचार प्रदान किया गया से संलग्न अनिवार्यता प्रमाण-पत्र के प्रारूप पर, बाउचर सत्यापित कराकर व सक्षम स्तर का संदर्भण प्रमाण-पत्र जो उपचार आरम्भ होने की तिथि से अनुवर्ती तिथि का न हो तथा आपातकालीन परिस्थिति का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष जैसी स्थिति हो, को तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे। उक्त अवधि के पश्चात् प्रस्तुत प्रतिपूर्ति दावों पर विचार नहीं किया जायेगा। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष प्रस्तर-2 के अनुसार दावों को प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर हेतु अग्रसारित करेंगे। यदि संदर्भण उपचार आरम्भ होने की अनुवर्ती तिथि के हों, तो ऐसे चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावें ग्राह्य नहीं होंगे।

(ii) उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी, को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रत्येक दावे के साथ यह प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा कि परीक्षण चिकित्सा परिचर्या नियमावली/संगत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है तथा प्रतिपूर्ति हेतु जो दरें प्रमाणित की गयी हैं, वे नियमानुसार वास्तविक दरें हैं। साथ ही दावा प्राप्त होने के पश्चात् शासनादेश में निहित प्रावधानों के अनुरूप विलम्बतम एक माह के भीतर तकनीकी परीक्षण कराकर प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरान्त सरकारी सेवक के

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को वापस किया जाना सुनिश्चित करेंगे जो सम्बन्धित स्वीकर्ता अधिकारी से स्वीकृत आदेश प्राप्त करेंगे।

(iii) प्राधिकृत चिकित्सक के सन्दर्भ पर उन उपचार प्रणालियों/परीक्षणों, जिनकी सुविधा राजकीय चिकित्सालयों में न उपलब्ध हो प्रदेश स्थित गैर सरकारी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार परीक्षण की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान की दरों पर अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, पर तभी अनुमन्य होगी जब प्रतिहस्ताक्षरार्थ अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि राजकीय चिकित्सालयों में उक्त उपचार प्रणालियाँ/परीक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(iv) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य तथा मृत सरकारी सेवक के पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को अथवा उस कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे जहां से वह सेवानिवृत्त हुये हों। 30प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रस्तर-54 के साथ पठित शिड्यूल-8 के अनुसार उत्तरांचल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स जिस कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे हों, द्वारा यह प्रमाणित करने पर उक्त पेंशनर किस विभाग से सेवानिवृत्त हुआ है तथा संबंधित कार्यालय उत्तरांचल के भौगोलिक क्षेत्र में नहीं था तथा उत्तरांचल क्षेत्र में स्थित विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग द्वारा अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार स्वीकृत किया जायेगा तथा ऐसे भुगतान पेंशन के सुसंगत लेखा शीर्षक से करने के बाद दोनों राज्यों के मध्य धनराशि जनसंख्या के आधार पर प्रभाजित की जायेगी।

(v) ऐसे सरकारी सेवानिवृत्त सेवक जो पुर्ननियुक्ति पर कार्यरत हैं कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामले उनके मूल पैतृक विभाग के माध्यम से तथा जिस प्रदेश से उनकी पेंशन आहरित की जा रही होगी, उसी प्रदेश से नियमानुसार व्यवहरित किये जायेंगे।

(vi) इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों तथा मृत सरकारी सेवकों के पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों का तकनीकी परीक्षण करने हेतु सम्बन्धित मण्डल वह मण्डल माना जायेगा, जहां से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी की पेंशन आहरित की जाती है। प्रदेश के बाहर पेंशन आहरित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में उनका मण्डल वही माना जायेगा कि जिस मण्डल से कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ हो।

7- उपरोक्त के अतिरिक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत किये जाने से पूर्व निम्नलिखित चेक लिस्ट के अनुसार औपचारिकतायें पूर्ण होना अनिवार्य होगा।

चेक लिस्ट

- समस्त/बिल वाउचर की मूल प्रतिलिपि संलग्न हो।
- समस्त बिल/वाउचर चिकित्सक द्वारा सत्यापित हो।
- अनिवार्यता प्रमाण-पत्र संलग्न हो।
- अनिवार्यता प्रमाण-पत्र में रोगी का नाम, उपचार की अवधि तथा व्यय की गयी धनराशि अंकित हो तथा व्यय विवरण संलग्न हो।
- अनिवार्यता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित उपचार अवधि के भीतर के तिथियों के ही बिल वाउचर का भुगतान किया जायेगा।

- अनिवार्यता प्रमाण-पत्र उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित तथा चिकित्सालय के प्रभारी अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।
- प्रदेश से बाहर के चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराये जाने की दशा में प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति दी जानी होगी।

8- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माने जायें तथा शासनादेश संख्या-1180/चि0-2-2003-437/2002, दिनांक 20.12.2003, इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

9- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-432/वित्त-3/2006, दिनांक 18.08.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव।

संख्या: 679 (1)/चि-3-2006-437/2002 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
7. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाँयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरांचल।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक, जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय, उत्तरांचल।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. एन0आई0सी0।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अतर सिंह)

उप सचिव

अनिवार्यता प्रमाण पत्र
बाह्य रोगी/अन्तः रोगी के रूप में उपचार हेतु

मैं डा० प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पत्नी/पुत्र/पुत्री/माता/पिता विभाग जो रोग से पीड़ित हैं/थे व मेरे उपचार
बाह्य रोगी के रूप में तथा/अथवा अन्तः रोगी के रूप में दिनांक से तक रहें।

2. मेरे द्वारा विहित औषधि व परीक्षण जो संलग्न बाउचर के अनुसार हैं, रोगी की स्थिति में सुधार/निवारण के लिये आवश्यक थी। इ
ऐसी औषधि सम्मिलित नहीं है, जिसके लिये समान थैरोप्यूटिक एफेक्ट वाला सस्ता पदार्थ उपलब्ध है न ही वह विनिर्मित सामग्री सम्मिलित है
प्राथमिक रूप से खाद्य पदार्थ, टायलेटरीज व डिसइन्फेक्टेन्ट हैं।

3. उपचार पर व्यय का विवरण :

(क) औषधि पर व्यय	रु०
(ख) पैथोलोजिकल परीक्षण पर व्यय	रु०
(ग) रेडियोलोजिकल परीक्षण पर व्यय	रु०
(घ) विशेष परीक्षण पर व्यय	रु०
(च) शल्य क्रिया पर व्यय	रु०
(छ) अन्य व्यय (विवरण सहित)	रु०
योग	रु०

4. रोगी को चिकित्सालय में भर्ती कर उपचार किये जाने की आवश्यकता थी/नहीं थी।
संलग्नक :- मेरे द्वारा उपरोक्त सत्यापित/अभिप्रमाणित बिल/बाउचर संख्या

हस्ताक्षर

चिकित्सक या शल्यक चिकित्सक

नाम योग्यता सहित सील

आकस्मिक स्थिति में बिना संदर्भण के अराजकीय चिकित्सालय में उपचार प्राप्त करने की दशा में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी जो रोग से पी
था/थी एवं उन्हें आकस्मिक स्थिति में तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी व मेरे उपचाराधीन हैं/रहे।

प्रतिहस्ताक्षर

हस्ताक्षर

प्राधिकृत चिकित्सक

चिकित्सक या शल्य चिकित्सक

नाम योग्यता सहित सील

प्रमाणपत्र

प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी ने चिकित्सालय में उपचार किया तथा दी
चिकित्सा सुविधा आवश्यक उपचार हेतु न्यूनतम थी तथा परीक्षण चिकित्सा परिचर्या नियमावली/संगत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार कि
गया है तथा प्रतिपूर्ति हेतु जो दरें प्रमाणित की गयी हैं, वे नियमानुसार वास्तविक दरें हैं।

हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी

परिशिष्ट "क"

देश के अंदर चिकित्सा परिचर्या हेतु स्वीकृत अग्रिमों का रजिस्टर

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	अग्रिम स्वीकृति आदेश संख्या एवं तिथि	स्वीकृत अग्रिम की धनराशि	अग्रिम आहरण तिथि एवं वाउचर संख्या	प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि	प्रतिपूर्ति के दावा कार्यालयध्यक्ष के कार्यालय से प्राप्त होने की वास्तविक तिथि	प्रतिपूर्ति के दावे भुगतान/अग्रिम की वसूली हेतु कृत कार्यवाही का विवरण	उपचार न्याय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति आदेश संख्या एवं तिथि	प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत धनराशि	समायोजन हेतु अग्रिम अवशेष धनराशि यदि कोई हो	अग्रिम की अवशेष धनराशि यदि कोई हो जमा करने संबंधी ट्रेजरी चालान की संख्या एवं तिथि तथा जमा की गयी धनराशि	समायोजन बिल की संख्या एवं तिथि	आहरण -वितरण अधिकारी द्वारा जांच के हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.

AN

प्रेषक,

केशव देसिराजु
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 08 जनवरी, 2010

विषय: उत्तराखण्ड के सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04.09.2006 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों व उनके आश्रित सदस्यों की प्रदेश के भीतर एवं प्रदेश से बाहर कराये गये चिकित्सा उपचार पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति/स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में अनुभव की जा रही व्यवहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 04.09.2006 के प्रस्तर-4 में अतिरिक्त अंशों का निम्नवत समावेश प्रस्तर-4(iii) के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

4(iii) अति गम्भीर एवं असाध्य रोगों के उपचार तथा अंग प्रत्यारोपण की प्रतिपूर्ति-

अति गम्भीर एवं असाध्य रोगों के उपचार एवं अंग प्रत्यारोपण जैसे असाधारण चिकित्सकीय उपचार के विशिष्ट प्रकरणों, जिनमें उपचार की देश में सफलता एवं उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है, के सम्बन्ध में अनिवार्यता/आवश्यकता इस हेतु गठित मेडिकल बोर्ड, जिसमें राज्य के शासकीय/अर्धशासकीय मेडिकल कालेजों यथा श्रीनगर मेडिकल कालेज व हल्द्वानी मेडिकल कालेज के सम्बन्धित रोग के विशेषज्ञ, जो प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष अनिवार्य रूप में एक सदस्य होंगे, द्वारा की जायेगी। इसी मेडिकल बोर्ड द्वारा ही ऐसे प्रकरणों को उच्च चिकित्सकीय उपचार हेतु संदर्भित किया जायेगा।

उक्तानुसार संदर्भित एवं अनिवार्यता/आवश्यकता प्रमाणित किये जाने पर सम्बन्धित रोग का उपचार/अंग प्रत्यारोपण इस हेतु राज्य/देश के चिन्हित व अनुमोदित चिकित्सालयों में कराया जायेगा। उपचार/अंग प्रत्यारोपण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु जिन प्रकरणों में अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान की दरें नहीं होंगी, उनमें सम्बन्धित चिन्हित/अनुमोदित

चिकित्सालयों की निर्धारित दर अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, की 75 प्रतिशत धनराशि ही राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 04.09.2006 के समस्त प्राविधान/व्यवस्थायें यथावत लागू रहेंगी तथा उक्त शासनादेश को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-119(NP)XXVII(3) 09-10 दिनांक 01.01.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(केशव देसिराजु)

प्रमुख सचिव।

पु०संख्या- १६० (१)/XXVIII-3-2010-437/2002, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधीक्षक/अधीक्षक, जिला/बेस/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तराखण्ड।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. गार्ड फाईल/एन०आई०सी०।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)

उप सचिव।